

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अधीक्षक अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा  
आई0ए0एस0

क्रमांक सं० 83/2017

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए0यू0 फाईनेन्सर्स(इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19 -ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, अजमेर-302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। ...प्रार्थी

ब्लाम

श्री रामकरण कुम्हार पुत्र श्री रामजीलाल कुम्हार पता: मकान नं०-4, कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम-पिलावा, तहसील दौसा, जिला दौसा राजस्थान 303303 वगैरह

प्रा० पत्र अ०धा० 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर राजस्थान ने अप्रार्थी श्री रामकरण कुम्हार को 5,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी अनुपस्थित। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमति कैलाशी पत्नी श्री रामकरण की सम्पत्ति संकल्प नं-07, ग्राम- पिलावा, ग्राम पंचायत-तीतरवाडा कलान, पंचायत समिति, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी कुल माप लगभग 180.5 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक: 06 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा